न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—208 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बाबुलाल पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां जिला जोधपुर, हाल निवासी रामबाग स्कीम रेल्वे स्टेशन के सामने महामन्दिर जोधपुर।		श्रीमान् तहसीलदार ओसियां

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री चुनाराम गर्ग उपस्थित।
अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांकः— 16/12/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1694 / 1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 1694 / 4 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, मौजा खाबड़ा खुर्द तहसील ओसियां की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी तथा प्रार्थी के पिता फौत होने पर राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के भाईयों के साथ प्रार्थी का नाम बाबुराम दर्ज कर दिया गया। लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम बाबुलाल है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादि बाबुलाल पुत्र श्री पोकरराम के नाम से बने हुए हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण हुई, जो सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की जाति भाम्बी दर्ज है जबकि जाति मेघवाल है जिसे सही दर्ज करवाना चाहता हूँ। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं जिस वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं। इसलिए प्रार्थी ने मजबूरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जो माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सादर से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:20:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 1694/1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 1694/4 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा, मौजा खाबड़ा खुर्द में प्रार्थी का नाम बाबुराम पुत्र श्री पोकरराम दर्ज कर रखा हैं जो गलत हैं उसके स्थान पर प्रार्थी का सही नाम बाबुलाल पुत्र श्री पोकरराम दर्ज किया जावें तथा प्रार्थी की जाति भाम्बी के स्थान पर मेघवाल दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें भी प्रार्थी का सही नाम बाबुलाल पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल सा. देह एवं हाल निवास महामन्दिर रेल्वे स्टेशन के पास रामबाग स्कीम जोधपुर खातेदार किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है तथा एस.बी.बी.जे. शाखा ओसियां का रहन बदस्तूर रहेगा। बैंक का नाम भी एस.बी.आई. शाखा ओसियां रहेगा। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1694/1 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 1694/4 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा मौजा ग्राम खाबड़ा खुर्द, तहसील ओसियां के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम बाबुराम पुत्र पोकरराम जाति भाम्बी के स्थान पर बाबुलाल पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल व बैंक एस.बी.बी.जे. शाखा ओसियां के स्थान पर एस.बी. आई. शाखा ओसियां दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

आज दिनांक 16/12/19 को खुला [illegible] में आदेश सुनाया गया।

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:20:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ओसियां
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner